न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/93/2018 दायर दिनांक 25.09.2018

उनवान

1. भवानीशंकर पिता गमेर जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. धापु बैवा गमेर जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

—— वादीगण

बनाम

1. राजु पिता बालु जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. सोहन पिता बालु जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन तहसील कंपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गीता पत्नी बालु जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 30.04.2025

—:निर्णयः—

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त आधिपत्य की आराजीयात ग्राम उचनार खुर्द पटवार हल्का उचनार खुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे स्थित है जिसके हाल आ०स० 729 रकवा 0.42 है०, आ०स० 730 रकबा 0.46 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टर स्थित है जिसमे वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है सिबुत के लिये चालु जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है ।

यह कि वादीगण की आराजीयात के प्रतिवादी स० एक लगायत तीन तक पडोसी है तथा प्रतिवादीगण ने अपनी दादागिरी व ताकल के बल पर वादीगण की आराजीयात मे अनाधिकृत कब्जा करने पर आमादा है तथा आये दिन प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात मे अपनी दादागिरी एवं ताकत के बल पर वादीगण की आराजीयात मे खड़ी फसल मे पशु चरा करके नुकसान पहुचाते है वादीगण की मेर पाली पर खडे हरे वृक्ष काटने की धमकी दे रहे है जबकि वादगत आराजीयात के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा वादगत आराजीयात वादीगण के हक अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात है वर्तमान मे वादगत आराजीयात मे वादीगण की फसल खडी है लेकिन प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात के पडोसी है इस कारण से वादीगण को डरा धमका करके जमीन जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है तथा वादगत आराजी मे खडे हरे वृक्ष काटने पर आमादा है तथा वादगत आराजी मे वादीगण के तीन आम के बडे बडे वृक्ष खडे है उन पर भी अपना अधिकार जता रहे है जबकि वादगत आराजीयात वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है इस कारण से ऐसा कृत्य करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है इसलिए पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाई जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की कालम स01 मे वर्णित वादगत आराजीयात मे प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वांदीगण की आराजीयात मे कब्जा नही करे, खडी फंसल मे नुकसान नही पहुचावे, हरे वृक्ष नही काटे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति नोकर एजेन्ट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारी आदि से भी नही करावे ।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाना आवश्यक है स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी नही फरमायी गयी ओर वादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

का कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा हटा दिया गया या खड़ी फसल मे नुकसान पहुचाया गया, मेर खडे हरे वृक्षो को काट दिये गये तो वादीगण को अपार नुकसान होगा वादीगण को किमती जायदाद से वंचित होना पडेगा । इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाना आवश्यक है।

यह कि दौराने वादपत्र प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेते है तो वादगत आराजीयात का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाये जाने की आदेशात्मक घोपणात्मक डिक्री पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

यह किं प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात पर दिनाक 30.07.2018 को अनाधिकार प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश व खड़ी फसल मे नुकसान कराने पर आमादा हुये तथा वादीगण के साथ लडाई झगडा पर किया एवं अनाधिकृत रूप से वादगत आराजीयात मे घुसने का प्रयास किया इसलिए वाद हेतु दिनाक 30.07.2018 को जारी होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निपेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमायी जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की कालम स01 मे वर्णित हाल आ०सं० 729 रकबा 0.42 है०, आ०स० 730 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टर मे प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे खड़ी फसल मे नुकसान नही पहुचावे, हरे वृक्ष नही काटे तथा वादीगण को कब्जे से बेदखल नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और नहीं किसी नोकर एजेन्ट अधिनस्थ कर्मचारी परिवारजन से भी नही करावे।

यह कि दौराने वादपत्र प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेते है तो वादगत आराजीयात का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाये जाने की आदेशात्मक घोषणात्मक डिक्री पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 02.11.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा वादी संख्या 2 का नाम डिलीट किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.01.2025 को स्वीकार किया जाकर नाम डिलीट किया गया। साक्ष्यवादी में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थाई निपेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाया जावे कि वादवर्णित हाल आ०सं० 729 रकबा 0.42 है०, आ०स० 730 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टर मे प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे खड़ी फसल मे नुकसान नही पहुचावे, हरे वृक्ष नही काटे तथा वादीगण को कब्जे से बेदखल नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और नहीं किसी नोकर एजेन्ट अधिनस्थ कर्मचारी परिवारजन से भी नही करावे। यह कि दौराने वादपत्र प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेते है तो वादगत आराजीयात का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाये जाने की आदेशात्मक घोषणात्मक डिक्री पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थना के कॉलम ख में चाही गई दाद दौराने वाद प्रतिवादीगण वादवर्णित आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेते है तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाये जाने की आदेशात्मक घोषणात्मक डिक्री के क्रम में कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है, जिससे कि यह स्पष्ट हो कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई अनाधिकृत कब्जा किया हो। अतः वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन की आराजी नम्बर 729, 730 कुल किता 02 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे, तथा वादीगण को कब्जे से बेदखल नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और नहीं किसी नोकर एजेन्ट अधिनस्थ कर्मचारी परिवारजन सें भी नही करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालिका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन